



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2018/ वैशाख 28, 1940

No. 184]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

**पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण)
(चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018**

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामतः -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018 है।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:-

(1) विनियम 3 के उप-विनियम (क) के प्रावधान (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(vi) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, और व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवर्त या इकाई को बताया जाएगा।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहते हैं जैसा भी मामला हो, तथा अनुमति की सीमा तक, ऐसी आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर एनपीएस न्यास को आवेदन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। जहाँ किसी भी अभिदाता द्वारा निर्धारित समयसीमा के पश्चात्, कोई आवेदन तर्कसंगति तथा पर्याप्त कारण के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ऐसे आवेदन अपनी सिफारिशों के साथ, प्राधिकरण के विचार तथा अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदि कोई हो तो, माफ़ कर सकता है। अभिदाता द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाता को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकल सकते हैं;

(II) विनियमन 4 के उप-धारा (क) में प्रावधान (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(I) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, और व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को बतायेगा।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहते हैं जैसा भी मामला हो, तथा अनुमति की सीमा तक, ऐसी आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर एनपीएस न्यास को आवेदन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। जहाँ किसी भी अभिदाता द्वारा निर्धारित समयसीमा के पश्चात्, कोई आवेदन तर्कसंगति तथा पर्याप्त कारण के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ऐसे आवेदन अपनी सिफारिशों के साथ, प्राधिकरण के विचार तथा अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदि कोई हो तो, माफ़ कर सकता है। अभिदाता द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाता को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकल सकते हैं;

(III) विनियमन 6 की उप-धारा (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) यथास्थिति, भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, या किसी संगठन का प्रमुख, किसी कॉर्पोरेट निकाय या अन्य इकाई जो कि या तो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो, के सम्बन्ध में, जैसा भी मामला हो, यदि अभिदाता के नियोजन को शासित करने वाले सेवा नियमों में ऐसा उपबंधित है, तो नियोक्ता को होने वाली सम्पूर्ण धनीय हानि या उसके किसी भाग की वसूली के प्रयोजन के लिए अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर I खाते में नियोक्ता के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य इकाई जो कि या तो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो, जैसा भी मामला हो, सह-अभिदाय के माध्यम से संचित पेंशन धन का भाग या उस पर प्रोद्भूत विनिधान आय को विधायित करने का अधिकार होगा, परन्तु ऐसी हानि, सम्बंधित नियोक्ता द्वारा ऐसे अभिदाता के विरुद्ध आरम्भ की गयी किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सिद्ध होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी ऐसी इकाई को, जिसे ऐसा प्राधिकार दिया गया है, दी गयी किसी सूचना के अनुसरण में और अभिदाता के उक्त पेंशन धन के प्रतिधारण की ईप्सा से विधारण के ऐसे अधिकार का अभिदाता की अधिवर्षिता की तारीख से पहले प्रयोग किया जाएगा। विधारण के ऐसे अधिकार का विधिमान्यतः प्रयोग किये जाने पर :-

- (i) ऐसा पेंशन धन, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान योग्य है, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है ;
- (ii) उपखंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट विधारित रकम का, स्कीम में, ऐसी पद्धति और रीति में अभिदाय के रूप में बनी रहेगी, जिसमें निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा ऐसी कार्रवाई को अपनाकर रखा गया था और विधारित रकम का अंतिम परिनिर्धारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या अन्य इकाई द्वारा सम्बंधित नियोक्ता से समुचित आदेश के प्राप्त होने के सामान्यतः नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ;
- (iii) विधारित रकम का, उस निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा, जिसने ऐसे फायदे को विधारित करने की ईप्सा की थी, यथा प्रमाणित अंतिम परिनिर्धारण पर अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा हो जाएगी। वह यथा संभव शीघ्र अभिदाता को संदत्त भुगतानकर दिया जाएगा और यह प्रत्येक दशा में ऐसा भुगतान राष्ट्रीय पेंशन न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई या व्यक्ति द्वारा अंतिम आदेश की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ;

(IV) विनियमन 8 की उप-धारा (1) (अ) में मौजूदा प्रावधान (ड.) के पश्चात् प्रावधान (च) एवं (छ) को जोड़ा जाएगा, जो निम्नानुसार हैं :

(च) अभिदाता द्वारा कौशल विकास/ पुनः कौशल या अन्य कोई स्व-विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।

(छ) अभिदाता द्वारा स्व-उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।

हेमंत जी.कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./60/18]

पाद लेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

NEW DELHI, the 18th May, 2018

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:-

(I) In regulation 3, proviso (vi) to sub-regulation (a) of Regulation 3 shall be substituted as follows:

(vi): where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified, and up to which he would like to contribute to his individual pension account but not exceeding seventy years of age. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to the age of attaining sixty years or age or superannuation, as the case may be to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose.

Provided further that such subscriber who has not exercised the option within the period of fifteen days, so stipulated, but desires to continue with his individual pension account under National Pension System, beyond the age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, and to the extent so permitted, may do so by making an application in writing with reasons for such delay to the National Pension System Trust, within one hundred and eighty days of attaining such age or superannuation. Where an application is received by the National Pension System Trust, from any subscriber, beyond the period of one hundred and eighty days, together with justification and sufficient cause, so shown by the subscriber, the National Pension System Trust, shall cause to forward such application along with its recommendation thereon, for consideration and approval of the Authority.

The authorized officer of the National Pension Trust or Authority, as the case may be, may condone such delay, if any, in exercise of such option by the subscriber, as he may deem fit, having regard to the cause so shown or on any other relevant matter. Upon exercise of the option, by the subscriber, as specified above, the other options of deferment of benefits shall not be available to such a subscriber.

Notwithstanding exercise of such option, the subscriber may exit at any point of time from National Pension System, by submitting a request to central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose;

(II) In regulation 4, proviso (i) to sub-regulation (a) of Regulation 4 shall be substituted as follows:

(i) Where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified of the age not exceeding seventy years and up to which he would like to contribute to his individual pension account. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to attaining the age of sixty years or age of superannuation, as the case may be, to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose.

Provided further that such subscriber who has not exercised the option within the period of fifteen days, so stipulated, but desires to continue with his individual pension account under National Pension System, beyond the age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, and to the extent so permitted, may do so by making an application in writing with reasons for such delay to the National Pension System Trust, within one hundred and eighty days of attaining such age or superannuation. Where an application is received by the National Pension System Trust, from any subscriber, beyond the period of one hundred and eighty days, together with justification and sufficient cause, so shown by the subscriber, the National Pension System Trust, shall cause to forward such application along with its recommendation thereon, for consideration and approval of the Authority.

The authorized officer of the National Pension Trust or Authority, as the case may be, may condone such delay, if any, in exercise of such option by the subscriber, as he may deem fit, having regard to the cause so shown or on any other relevant matter. Upon exercise of the option, by the subscriber, as specified above, the other options of deferment of benefits shall not be available to such a subscriber.

Notwithstanding exercise of such option, the subscriber may exit at any point of time from the National Pension System, by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose;

(III). In regulation 6, sub-regulation (c) of regulation 6 shall be substituted as follows:

(c) the President of India or the Governor of a State, or the head of the organisation, in respect of a body corporate or other entity under the ownership and control, either of the central government or any state government or a government company, as the case may be, if so specifically provided in the service rules, governing the terms of employment of the subscriber with it, reserves the right of withholding the part of pension wealth, accumulated through co-contributions made by the Central Government or the State Government or any entity under the ownership and control, either of the central government or any state government or a government company, as the case may be, as employer to the Tier-I account of the National Pension System account of the subscriber and the investment income accruing thereon, for the purpose of recovery of the whole or part of any pecuniary loss caused, provided such loss is established, in any departmental or judicial proceedings, initiated against such subscriber by the employer concerned.

Such right of withholding shall have to be exercised prior to the date of superannuation of the subscriber, pursuant to a notice to be given to the National Pension System Trust or an entity to whom such authorization has been given, and seeking to withhold the said pension wealth of such subscriber. Upon such right of withholding being validly exercised:-

- (i). the pension wealth which are payable under the National Pension System shall not be paid to such subscriber until the conclusion of the departmental or judicial proceedings, as the case may be and subject to the final orders, passed in such proceedings.
- (ii). the amount withheld as specified in sub-clause (i) shall remain subscribed to the scheme in the mode and manner in which it was held prior to resorting to such action by the employer specified, and the final settlement of the withheld amount shall be made by the National Pension System Trust, or any intermediary or other entity, authorized for this purpose by the Authority, in normal course within ninety days of the receipt of an appropriate order from the concerned employer;
- (iii). the amount withheld becomes payable to the subscriber on the final settlement, as certified by the employer specified, which has sought withholding of such benefits, and shall be paid to the subscriber as soon as possible and in no case beyond ninety days of receipt of the final order by the National Pension System Trust or any other entity or person, authorized for the purpose by the Authority;

(IV). In regulation 8, in sub-regulation (1) (A), proviso (f) & (g) shall be added after existing proviso (e), as follows:

(f) Towards meeting the expenses by subscriber for skill development/re-skilling or for any other self-development activities, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

(g) Towards meeting the expenses by subscriber for establishment of own venture or any start-ups, as may be permitted by the Authority by issuance of appropriate guidelines, in that behalf.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./60/18]

Footnote:

1. The Principal Regulations ,The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.